

न्यायालय श्रीमती रेणु कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद

राष्ट्रीय लोक अदालत, धनबाद

एम0पी0वाद सं0.....548...../2017.....

09.12.2017

वाद अभिलेख को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। तथा उभय पक्षों को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूची प्रतित नहीं होता है। ऐसा प्रतित होता है कि दोनो पक्षों के बीच अशांति व्याप्त नहीं है।

अतः कार्यहित एवं न्यायहित के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्राधिकृत  
पीठासीन पदाधिकारी, धनबाद।